न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 107/2018

1. काली पत्नि कालूराम
2. इन्द्राज पुत्र कालूराम
3. कैलाश पुत्र कालूराम
4. काना पुत्र रामजीलाल पौत्र कालूराम
5. रोशन पुत्र रामजीलाल पौत्र कालूराम
6. बाई पत्नि रामजीलाल पुत्रवधु कालूराम

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम लालपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. घनश्याम पुत्र गंगाराम
2. गोपाल पुत्र गंगाराम

समस्त जातियान ब्राह्मण निवासी ग्राम पाटन तहसील बस्सी जिला जयपुर

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्टस्

4. गोविन्दराम पुत्र झूंथाराम
5. गिरधारी पुत्र झुंथाराम
6. रामू पुत्र झुंथाराम

समस्त जातियान मीणा निवासी लालपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

——तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर वाद संख्या 93/2013 उनवानी घनश्याम व अन्य बनाम गोविन्दराम व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री राजेश कुमार शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स
श्री हनुमान सहाय एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2

निर्णय दिनांकः 02.12.2019

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के वाद संख्यां 93/2013 बउनवानी घनश्याम व अन्य बनाम गोविन्दराम व अन्य में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 24.01.2018 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पाटन तहसील बस्सी जिला जयपुर स्थित आराजीयात खसरा नम्बर 380 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा गै.मु.झेरा, ख.नं. 390 रकबा 9 बीघा 1 विस्वा, खसरा नम्बर 607 रकबा 7 बीघा 2 विस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 17 बीघा 7 विस्वा की खातेदारी वादीगण के स्वर्गीय पिता श्री गंगाराम एवं उसके दो भ्राता मूलचन्द व मदन पिसरान रामधन जाति ब्राहम्ण के नाम थी एवं वादीगण के पिता के स्वर्गवास के पश्चात् आराजीयात में वादीगण के पिता श्री गंगाराम के स्थान पर वादीगण के हक में नामान्तकरण स्वीकृत हुआ एवं सहखातेदार मूलचन्द के फौत हो जाने पर उसके पुत्रान माधोलाल, रामकिशन व राधा मोहन के नाम नामान्तकरण स्वीकृत किया गया। इस प्रकार आराजीयात में वादीगण का 1/3 हिस्सा एवं मूलचन्द के वारिसान माधोलाल, रामकिशन एवं राधामोहन का 1/3 हिस्सा एवं मदन पुत्र रामधन का 1/3 हिस्सा रिकॉर्ड ऑफ राईट्स में रहा जिसे माधोलाल, रामकिशन, राधामोहन पुत्रान मूलचन्द उर्फ मदन पुत्र रामधन ने अपना 2/3 हिस्से का विक्रय पत्र पंजीयन प्रतिवादीगण के हक में दिनांक 21.07.1989 को उप पंजीयक बस्सी के यहां पंजीकृत करवा दिया एवं प्रतिवादीगण के हक में विक्रय पत्र पंजीकृत हो जाने के पश्चात् प्रतिवादीगण का आराजीयात में 2/3 हिस्सा एवं वादीगण का 1/3 हिस्सा रिकॉर्ड ऑफ राईट्स में रहा एवं प्रतिवादीगण के हक में विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण स्वीकृत भी हो चुका है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण ने सहखातेदारान से आराजीयात दिनांक 21.07.1989 को क्रय कर आराजीयात के खातेदारी हकूक प्रापत किये है एवं प्रतिवादीगण को भी सहखातेदार विक्रेतागण के ही खातेदारी हकूक प्राप्त हुये है एवं सहखातेदारों के मध्य हुये मनबट बंटवारे के आधार पर ही प्रतिवादीगण ने आराजीयात पर कब्जा प्राप्त किया है एवं आराजीयात के पूर्वी 1/3 हिस्से पर वादीगण एवं बाकी 2/3 हिस्से पर प्रतिवादीगण पूर्व विक्रेता खातेदारान की तरह ही काबिज खातेदार काश्तकार हो गये है एवं वर्तमान में भी पक्षकारान का गत 30 साल से चले आ रहे है एवं मनबट बंटवारे के आधार पर वास्तविक कब्जा काश्त है। वादीगण ने कुछ समय पूर्व हुये राजस्व अभियान के दौरान आराजीयात का रिकॉर्ड ऑफ राईट्स में कानूनी विभाजन करने हेतु सहमति से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तब प्रतिवादीगण राजस्व अभियान के दौरान कानूनी विभाजन करवाने को इंकार हो गये एवं प्रतिवादीगण ने वादीगण के कब्जे काश्त एवं विभाजित हक में हस्तक्षेप कर वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी इस वजह से वादीगण को वाद विभाजन आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि आराजी खसरा नम्बर 380, 390, 607, 393 एवं 396 इस अमर का विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि सम्पूर्ण आराजीया में वादीगण 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 2/3 हिस्सा है एवं वादीगण को मनबट किये गये तकासमें पूर्वी हिस्से पर काबिज आराजीयात एवं खातेदार काश्तकार काबिज माना जाकर 1/3 हिस्से की खातेदारी पर्चा खतौनी वादीगण के हक में बनाये जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावे एवं मनबट तकासमें से इन्कार करने पर सम्पूर्ण आराजीयात का वास्तविक विभाजन कब्जे के आधार पर फरमाया जाकर रिकार्ड ऑफ राईट्स खतौनी में एक नक्शे में 1/3 हिस्से की आराजीयात का अंकन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

वादीगण के हक में अलग से एवं 2/3 हिस्से का अंकन दर्ज करने की डिक्री सादिर फरमाई जावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की कुरैजात पर बहस सुनकर अपने अंतिम डिक्री निर्णय दिनांक 24.01.2018 के द्वारा मुताबिक कुरैजात पक्षकारान के मध्य विभाजन कर अलग से खाता क़ायम किये जाने की अंतिम डिक्री पारित कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को वाद में पक्षकार कायम किये एवे बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। मृतक पक्षकार कालूराम पुत्र झूंथाराम के विरूद्व पटवारी द्वारा प्रस्तुत कुरैजात के आधार पर राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना ही अंतिम डिक्री पारित की है। कुरैजात पटवारी द्वारा तैयार किये गये है जबकि कुरैजात रिपोर्ट नियमानुसार गिरदावर या गिरदावर से ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा ही तैयार की जानी चाहिये। इन समस्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2018 को अंतिम डिक्री पारित की गई है जो विधिनुसार गलत है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.01.2018 खारिज फरमाया जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे 1997 पेज 611, आर.आर. टी 2012 (2) पेज 747, आर.आर.डी. 2017 पेज 473, आर.आर.डी. 2015 पेज 739, आर.बी.जे 2009 पेज 478 पेश किये। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अनावश्यक प्रकरण को लंबित रखने के लिये ही यह अपील प्रस्तुत की है यदि उन्हे कोई वास्तविक आपत्ति होती तो वह इस संदर्भ में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते थे। किन्तु फिर भी अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। अधिनस्थ न्यायालय ने विधिनुसार अंतिम निर्णय डिक्री दिनांक 24.01.2018 पारित की है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2015 डब्ल्यू.एल.सी. (राज.) पेज 267 पेश किये।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया कि वादीगण द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात के विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2018 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर पक्षकारान के मध्य तकासमा किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट के पूर्वज प्रतिवादी कालूराम की ओर से अधिवक्ता श्रीकांत मीना व सचिन शर्मा के द्वारा दिनांक 01.05.2015 को वकालतनामा प्रस्तुत किया गया जिससे रेस्पोडेन्ट्स के द्वारा अपनी बहस में कालूराम की अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने के तथ्य गलत व मिथ्या पाये जाते है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 17.06.2016 को माननीय राजस्व मंडल के निर्देशानुसार उक्त प्रकरण के संदर्भ में पारित आदेश के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अनुरूप तहसीलदार को आदेशित किया गया था कि उभयपक्षों को सूचित कर उभयपक्षों की उपस्थिति में राजस्व मंडल के नियमानुसार कुरैजात रिपोर्ट तैयार करे। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कुरैजात रिपोर्ट दिनांक 30.06.2017 में प्रतिवादीगण को लिखित सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहने के तथ्य अंकित किये गये जबकि वास्तविकता में अपीलान्ट के पूर्वज प्रतिवादी कालूराम का देहान्त दिनांक 16.10.2015 को ही हो चुका था जो कि मृत्यु प्रमाण पत्र से बखूबी साबित है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा मृत व्यक्ति को सूचना कैसे प्रदान की जा सकती है। कुरैजात रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 29.06.2017 को बनाई गई क्योकि कुरैजात रिपोर्ट पर पटवारी हल्का द्वारा अपने हस्ताक्षर के साथ दिनांक 29.06.2017 अंकित की है जबकि तहसीलदार द्वारा कुरैजात रिपोर्ट पर काउन्टर हस्ताक्षर करते हुये दिनांक 30.06.2017 अंकित की है जिससे स्पष्ट है कि उक्त कुरैजात रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा निर्मित नहीं की गई है एवं कुरैजात रिपोर्ट राजस्व मंडल के आदेशों के विपरीत पक्षकारान को बिना सूचित किये ही पटवारी द्वारा ही निर्मित की गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कुरैजात रिपोर्ट बिना पक्षकारान को सूचित किये एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही तैयार किये गये है जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से वाद को डिक्री कर तकासमा किया गया है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटि कारित करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो गलत है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 24.01.2018 खारिज किया जाता है। पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षों को सूचित कर, उभयपक्षों की उपस्थिति में, तहसीलदार स्वयं के द्वारा राजस्व मंडल के नियमावली 18 से 21 की पालना करते हुये कुरैजात रिपोर्ट तैयार करवाकर उभयपक्षकारान की कुरैजात पर आपत्ति हो तो उनका निस्तारण कर युक्तियुक्त निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान दिनांक 06.01.2020 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होवे। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रतिप्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज़ दिनांक 02.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर